

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-11/2017 दिनांक: 03 अक्टूबर, 2017

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. पंजाब

2. केरल

विषय: लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2017-इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग।

महोदय,

मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 के निदेश सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-11/2017 को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें पंजाब के 1-गुरदासपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा केरल के 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें दिनांक 15.09.2017 को अधिसूचित लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चालू उप-निर्वाचनों में मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि पूर्वोक्त निर्वाचन-क्षेत्रों में, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड हेतु इसे अग्रेषित की जाएं।

2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र की डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के तरीके के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस सम्बंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2014 के अध्याय-X। 'वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र और मतपत्र' में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए। वीवीपीएटी प्रणाली के इस्तेमाल और मतगणना पूरी होने के बाद पेपर स्लिप सीलबंद करने से संबंधित अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

4. आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार भी किया जाए।

5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2014, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में निहित है, तथा समय-समय पर इस

विषय पर जारी अन्य पूरक अनुदेशों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को कहा जाना चाहिए कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,
ह./-
(अभिषेक तिवारी)
अनुभाग अधिकारी

भारत के राजपत्र, भाग- ॥

खण्ड-3(iii) में तत्काल प्रकाशनार्थ ।

राज्य सरकार के राजपत्र में

तत्काल पुनः प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

तारीख- 3 अक्टूबर, 2017

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर//खण्ड-॥/2017:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और


3. यतः आयोग ने पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 15.09.2017 को उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित पंजाब के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं केरल के राज्य विधान सभा के

घालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. आयोग एतदद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कांफ़रिशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,


(एन.टी. भूटिया)
सचिव